



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)
PART II — Section 3 — Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2839]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 19, 2013 / अग्रहायण 28, 1935

No. 2839]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 19, 2013 / AGRAHAYANA 28, 1935

ग्रामीण विकास मंत्रालय

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(भूमि संसाधन विभाग)

(Department of Land Resources)

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2013

New Delhi, the 19th December, 2013

का. आ. 3729(अ).—केन्द्रीय सरकार, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जनवरी, 2014 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

S.O. 3729(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), the Central Government hereby appoints the 1st day of January, 2014 as the date on which the said Act shall come into force.

[फा. सं. 13011/01/2013-एलआरडी]

[F.No. 13011/01/2013-LRD]

प्रभुदयाल मीना, विशेष सचिव

PRABHUDAYAL MEENA, Special Secy.